

**विद्युत लोकपाल**  
**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
**पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल**

**प्रकरण क्रमांक L0032013**

श्री रामसिया पटेल वल्द रामसखा पटेल,  
साऊथ सिविल लाईन, डिफेन्स कॉलोनी,  
पी.डब्ल्यू.डी. क्वा. 615/2, जबलपुर एवं  
अन्य ए.पी.आर. कालोनी, माढोताल,  
जबलपुर (म.प्र.) – 482002

– आवेदक

विरुद्ध

(1) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
जबलपुर (म.प्र.) – 482008

– अनावेदकगण

(2) कार्यपालन यंत्री (संचा. संधा.) संभाग,  
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
जबलपुर (म.प्र.) – 482008

(3) सहा0/कनिष्ठ यंत्री (वितरण केन्द्र),  
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
माढोताल (म.प्र.) – 482002

**आदेश**

**(दिनांक 29.08.2013 को पारित)**

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के प्रकरण क्रमांक 72/2013 श्री रामसिया विरुद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2013 के विरुद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता के अनुसार उसने अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी से निर्धारित शुल्क अदा कर आवासीय प्रयोजन के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था । उसके द्वारा स्थाई विद्युत कनेक्शन का अनुरोध किए जाने पर विद्युत वितरण कम्पनी ने उसे स्थाई कनेक्शन नहीं दिया था । उसके द्वारा नियमित रूप से विद्युत ऊर्जा का प्रभार जमा किया जाता था । दिनांक 08.02.13 को उसे सूचना दिए बिना तथा मीटर की अन्तिम रीडिंग की जानकारी उसे दिए बिना उसके अस्थाई कनेक्शन को विच्छेदित कर

दिया गया था । दिनांक 12.02.13 को उसने पुनः राशि जमा कर अस्थाई कनेक्शन प्राप्त किया था, अतः जनवरी माह 2013 के बिल में जो ऊर्जा का प्रभार है उसे काटकर उसे शेष राशि वापस कराई जाए, उसे क्षतिपूर्ति भी दिलाई जाए ।

3. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में मुख्य आपत्ति यह की गई है कि उपभोक्ता को जो अस्थाई कनेक्शन दिया गया था उसकी अवधि मई 2012 में समाप्त होती थी । उपभोक्ता पर 500339/- रु. (5 लाख तीन सौ उन्चालीस रु.) देय था । उपभोक्ता द्वारा दिनांक 17.05.12 को 300458/- रु. (3 लाख चार सौ अठावन रु.) जमा किए थे, उस पर 100887/- रु. (एक लाख आठ सौ सत्तयासी) रु. की राशि बकाया थी । कालोनाइजर द्वारा ए.पी.आर. कॉलोनी में बाह्य विद्युतीकरण का कार्य न कराए जाने के कारण स्थाई कनेक्शन नहीं दिया गया था । मई 2012 में उपभोक्ता द्वारा पुनः अस्थाई कनेक्शन लिया गया था । उपभोक्ता के यहां अधिक विद्युत खपत आने पर इसकी जानकारी उसे दी गई थी । बकाया राशि जमा न होने के कारण उसका कनेक्शन काट दिया गया था । दिनांक 24.12.12 को उपभोक्ता द्वारा राशि जमा की गई थी, परन्तु रु. 24000/- (चौबीस हजार रु.) का चैक अनादरित होने के कारण उपभोक्ता द्वारा दिनांक 12.02.13 को पुनः राशि जमा की गई थी । उपभोक्ता द्वारा नियम विरुद्ध घरेलू कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया था । उपभोक्ता के पूर्व कनेक्शन क्रमांक 1530701 पर 1881 रु. बकाया थे । एफसीए अंतर राशि 60/- रु. कुल 1941/- पूर्व में जमा अग्रिम 5000/- रु. से समायोजित कर शेष राशि को उपभोक्ता के आवेदन पर सर्विस क्रमांक 1355910 में माह जनवरी 2013 में समायोजित कर दिया गया था । मई 2012 में पुनः अस्थाई कनेक्शन लेने के पश्चात् उपभोक्ता, बिल भुगतान करने के प्रति कभी भी सजग नहीं रहा । माह मार्च 2013 में उपभोक्ता से 13368/- रु. लेना शेष है । उक्त बकाया राशि के विरुद्ध अस्थाई कनेक्शन के मद में जमा अग्रिम राशि 4000/- रु. का समायोजन होने के पश्चात् उपभोक्ता को 9388/- रु. कम्पनी के खाते में जमा करना है । उपभोक्ता के यहां से निकाले गए मीटर की अन्तिम रीडिंग 10507 थी । इसी मीटर को श्रीमती सुषमा सोनी के यहां लगाया गया है । नए उपभोक्ता की खपत को देखने से मीटर को तेज गति से चलना नहीं पाया जाता है, अतः उपभोक्ता की शिकायत निराधार है ।

4. उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब का विवरण आदेश में लेख करने के बाद फोरम ने अति संक्षेप में यह आदेश दिया है कि मार्च 13 की स्थिति में उपभोक्ता के विरुद्ध 9388/- रु. बकाया हैं । अतः (फोरम व विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियमन 2009 की धारा 2.4 M (IV) के प्रावधानों के अंतर्गत वादी का वाद निरस्त किया जाता है ।

5. फोरम के इसी आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता की ओर से प्रावधान प्रस्तुत किया गया है और अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का विस्तार से विवरण दिया गया है जैसा कि फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में विवरण दिया गया था, इसके अतिरिक्त उपभोक्ता की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं और लिखित तर्क में भी उन्हीं बातों को दोहराया गया है ।

6. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का जवाब अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । सूचना देने के बाद भी अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

7. उपभोक्ता ने फोरम को जो शिकायत प्रस्तुत की थी तथा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया था उसका अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उपभोक्ता ने मुख्य रूप से शिकायत की थी कि उसे विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है तथा उसे जो अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं उनके संबंध में उससे मनमानी राशि वसूल की गई है । फोरम ने उपभोक्ता की उक्त शिकायत के संबंध में गुण-दोषों के आधार पर कोई विचार नहीं किया है । फोरम ने केवल यह कहा है कि विधि के प्रावधानों के अनुसार वादी का वाद निरस्त किया जाता है ।

8. फोरम ने जिस विधि के प्रावधानों को उद्धरत करते हुए उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किया है, उसके सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है :-

9. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की धारा 2.4 विनियम का परिभाषा खण्ड है । विनियम क्रमांक 2.4 एम के प्रावधान इस प्रकार है :-

10. "शिकायत" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उपभोक्ता की शिकायत को पंजीकृत करने अथवा उसका निराकरण न करने में विफलता के फलस्वरूप उपभोक्ता की असंतुष्टि तथा इसमें सम्मिलित होगा किसी शिकायत के संबंध में उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य कोई विवाद अथवा प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत के संबंध में अथवा अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही । तथापि, अधिनियम के निम्न उपबंधों के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषय इन विनियमों के अन्तर्गत शिकायत नहीं माने जाएंगे ।

11. उपखण्ड iv के प्रावधान इस प्रकार है :- "बकाया राशि की वसूली जहां बिल की गई राशि विवादित न हो" ।

12. सुसंगत विनियम क्रमांक 2.4 के खण्ड एम, सहपठित उपखण्ड के iv के उपबंधों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि बिल की गई राशि विवादित न हो वहां ऐसी राशि के बकाया की वसूली के संबंध में की गई शिकायत को शिकायत नहीं माना जावेगा तथा यदि इस संबंध में उपभोक्ता की ओर से कोई शिकायत की गई है तो ऐसी शिकायत की सुनवाई करने का अधिकार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को नहीं होगा ।

13. इस मामले में उपभोक्ता ने बिल की राशि को प्रश्नगत किया है । उपभोक्ता द्वारा बिल की राशि के संबंध में विवाद किया गया है । ऐसी स्थिति में ऐसी राशि के संबंध में उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत उचित है अथवा नहीं ? इसका निराकरण फोरम को करना है । प्रथमदृष्टि उपभोक्ता की शिकायत विनियम क्रमांक 2.4 के खण्ड एम के उपखण्ड iv की परिधि में नहीं आती है, ऐसी स्थिति में फोरम ने इस आधार पर उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किए जाने का जो आदेश दिया है वह विधि संगत प्रतीत नहीं होता है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता ने यह शिकायत भी की है कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उसे स्थायी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । इस संबंध में भी फोरम को निष्कर्ष देना अपेक्षित है कि उपभोक्ता स्थाई कनेक्शन पाने का अधिकारी है या नहीं है ? ऐसी शिकायत का निराकरण करने के संबंध में फोरम को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, अतः इस बिन्दु पर भी फोरम का आदेश अपेक्षित है । उपभोक्ता ने प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अनुरोध किया है – उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है – इस बिन्दु पर भी फोरम का आदेश अपेक्षित है ।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह पाया जाता है कि फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर नहीं किया है । फोरम के द्वारा उपभोक्ता की इस शिकायत का निराकरण करना अपेक्षित है कि :-

- (1) क्या उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जो राशि बकाया बताई जा रही है उस राशि को वसूल पाने का अधिकार विद्युत वितरण कम्पनी को है ? ।
- (2) क्या उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी से स्थाई कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार है ? ।
- (3) क्या उपभोक्ता वांछित क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? ।

15. अतः फोरम के आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत के संबंध में उपर उल्लेखित तीनों बिन्दुओं के संबंध में गुण-दोषों के आधार पर निष्कर्ष दिया जाकर आदेश पारित किया जावे ।

16. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

**विद्युत लोकपाल**

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

**विद्युत लोकपाल**